झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010
E-mail: Jharkhand_ssc@rediffmail.com

इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2017

आवश्यक सूचना

दिनांक–15.02.2019

इंडिया रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2017 के अंतर्गत दिनांक–04.10.2018 से दिनांक–25.10.2018 तक आयोग कार्यालय में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारंभिक जाँच कार्यक्रम संपन्न किया गया। उक्त तिथियों में अनुपस्थित रहे सभी अभ्यर्थियों को पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–30.10.2018 को प्रमाण–पत्रों के जाँच हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वंचित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रात्रता/शैक्षणिक आर्हत्ता/आरक्षण/ऑन–लाईन आवेदन इत्यादि की शर्ते संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्ते उक्त विज्ञापन से संबंधित विवरणिका में अंकित की गयी है।

3. विवरणिका की कंडिका–4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते है क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा। प्रमाण पत्र जाँच के पश्चात अभ्यर्थी की पात्रता के बिन्दु पर अंतिम निर्णय हो सकेगा। किसी भी समय पात्रता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन/अभ्यर्थिता रद्द किया जा सकता है।

4. विवरणिका की कंडिका–8 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं अधिकतम उम्र सीमा (25 वर्ष) में छूट का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी यथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0–1), पिछड़ा वर्ग (अनु0–2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) इस विज्ञापन के अधीन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र–

जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए जाति प्रमाण पत्र परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र।

(iii) अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए झारखण्ड का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र में अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र। यह प्रमाण पत्र दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद की तिथि में निर्गत होना चाहिए।

(iv) आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग/जाँच आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट– I, परिशिष्ट– II एवं परिशिष्ट– III पर अंकित प्रपत्र अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में अथवा अनुमंडल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा अथवा उनके आवेदन पत्र रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

4. विवरणिका की कंडिका–9 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट Www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर जाएँ एंव Online Application for IRBGCCE-2017 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।

<u>शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा के संबंध में अभ्यर्थी यह सुनिश्ति हो ले की आवेदन की तिथि तक वे आवश्यक अर्हत्ता पूर्ण करते हैं एवं एतत् संबंधी वांछित प्रमाण–पत्र उनके पास उपलब्ध है।</u>

आवेदक को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

5. विवरणिका की कंडिका–15 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।

2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वारा:–

(i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,

(ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,

(iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–

(क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी

6. उपर्युक्त शर्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। तद्संबंधी आपतियाँ एवं अभ्यर्थियों से कारण पृच्छा के उत्तर में प्राप्त स्पष्टीकारण के आलोक में अधोलिखित परीक्षा विवरणिका के प्रावधानों के सम्मुख लिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों (पुरूष एवं महिला) की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है :–

क्र.सं.	विसंगति	पुरूष	महिला
1	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–8 (III)(iv) के शर्तों के अनुसार आवेदन–पत्र में दावा किये गये आरक्षण कोटि के समर्थन में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से न्यून स्तर के पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित करने के फलस्वरूप।	अनुक्रमांकः– 111125010088, 211127189498, 230126316012, 323120454865. (कुल–04)	अनुक्रमांकः– 123119100031, 124114103078, 127115117272, 215117226349, 230148327779, 317115423322, 321112437497, 322114448735, 331114517026, 332114519957. (कुल–10)

क्र.सं.	विसंगति	पुरूष	महिला
2	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–9 के शर्तों के अनुसार आवेदन की तिथि तक का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप।	अनुक्रमांकः– 111112001104, 111132013451, 114145040081, 115111044957, 118115071781, 118122074894, 121111081662, 121117085082, 121120086394, 122114094071, 122115094579, 123116098652, 126123114483, 128126125427, 129113127359, 130122135050, 130148149357, 133114171993, 211118183738, 211118183805, 211123187069, 213121202101, 214133213119, 214141216312, 218119251537, 221115262603, 221121265233, 224112279786, 230136322633, 230147327106, 311136372954, 317119424599, 321116438857, 323121454993, 330132494979, 330134496901, 330147502934, 330170514177, 334116529464. (कुल–39)	अनुक्रमांकः– 111122008135, 111135015910, 111136016636, 113113020705, 114116026981, 115112045599, 116112052518, 116131060189, 116131060421, 116138063162, 121113083733, 123112097011, 125116109305, 126120113003, 130112129363, 130122135105, 130174161169, 132112165809, 134120177929, 211118183391, 211118183535, 211128190016, 216121234379, 216138241391, 217119246699, 218121252138, 221114262235, 221120264314, 226124292840, 227116296125, 229115306187, 230124314244, 230131318610, 230140324455, 230168336787, 230177340978, 231111341352, 234120356247, 234121356497, 311117361346, 311123365522, 311136373238, 312112374931, 315125407131, 320115433399, 323113451666, 324120460025, 328116475449, 329112480490, 330119486787, 330138499344, 330142501438, 330145502406, 330152505455, 330156507328, 330157507710, 330158508294, 330160509307, 330164510970, 330166511539, 330166512038, 330168512598, 330172515210, 332112519001, 332114520335, 333115525448. (कुल–66)
3	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–9 एवं 15 के शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण कोटि से भिन्न आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप।	अनुक्रमांकः– 124123106759, 217115245178, 227113294229, 230120311446, 313116378626, 316117410782, 318119430112, 320118435369, 323118453837, 329117482803. (कुल–10)	अनुक्रमांकः– 113113020852, 130117131271, 130130139962, 211117182946, 221112260841, 226124292866, 230164334645, 233115351064, 233116351636, 313113377396, 316137419124, 321112436744, 323118453906, 324114456461, 328112473422, 330122488099, 330124491110, 330140500236. (कुल–18)

क्र.सं.	विसंगति	पुरूष	महिला
4	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–8 (III)(iv) के शर्तों के अनुसार विवरणिका के परिशिष्ट– II पर अंकित प्रपत्र अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र यथा भारत सरकार में नियोजन हेतु निर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र समर्पित करने के फलस्वरूप।	अनुक्रमांकः– 126123114206, 224116282279, 311111356760. (कुल–03)	अनुक्रमांकः–332112518388. (कुल–01)
5	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–8 (III)(iv) के शर्तों के अनुसार विवरणिका के परिशिष्ट– I पर अंकित प्रपत्र अथवा प्रज्ञा केन्द्र द्वारा कम्प्यूटर जनित प्रमाण पत्र से भिन्न प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप।	अनुक्रमांकः– 233115351176. (कुल–01)	
6	उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–4 के शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में अनुसूचित जाति के आरक्षण का उल्लेख करने के समर्थन में उक्त कोटि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप।		अनुक्रमांकः– 216116231928. (कुल–01)
7	आवेदन पत्र में अनुसूचित जाति का दावा करने के समर्थन में पति के आधार पर निर्गत उक्त कोटि का जाति प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया। तद्नुसार किए गए कारण पृच्छा समर्थन में पिता के नाम एवं पते के आधार पर निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 का जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा के पत्रांक–9162, दिनांक–18. 12.2018 के आलोक में भिन्न जाति के होने के फलस्वरूप पति के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होने के फलस्वरूप।		अनुक्रमांकः– 333113524089. (कुल–01)

क्र.सं.	विसंगति	पुरूष	महिला
8	सिविल अपील संख्या–8425 / 2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–01.11.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–235 अनु० दिनांक–10.01.2019 के माध्यम से अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य (झारखण्ड राज्य) में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होने के फलस्वरूप।		अनुक्रमांकः– 130122134793, 216140242263, 316124413426, 318121430573, 333114524770. (कुल–05)
9	बिहार राज्य से पिता के नाम एवं पता के आधार पर निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र समर्पित करने के फलस्वरूप।		अनुक्रमांकः– 130133141730. (कुल–01)

7. उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–4 के आलोक में प्रमाण–पत्रों के जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है।

पुरूष	महिला
अनुक्रमांकः–111111000069, 111114003193, 111130012543, 111133014329, 114148041208, 116131060179, 118120073706, 118122074479, 121127089456, 121128090307, 123118099498, 124114102944, 124122106575, 128117121507, 130123135569, 130142147092, 130148149354, 130168158303, 134121178226, 211115181809, 211115181858, 211134193689, 213114199240, 214118205745, 214130211097, 215118226628, 216138241754, 220115257389, 221130269875, 224115282010, 225118288267, 227113294449, 227116296404, 228125303235, 230162334294, 233113349534, 234115354397, 314121386007, 314131390216, 315112402388, 326122468199, 329112480376, 330119486684, 330132495085, 330133496605, 330159508457, 330167512161, 332112518746, 332114520202, 334115528984, 334119530579. (कुल–51)	अनुक्रमांकः–116115053242, 116124057270, 126115111286, 127113116163, 211122186392, 213115199899, 214137214210, 216118233007, 216124235220, 218113248830, 228126303502, 230122313423, 230123313510, 234113353168, 311114359814, 311122364504, 311126367240, 313117378838, 314132390827, 314137392551, 321117439360, 321126443405, 330141500859, 330143501643, 330153505991, 330169513424, 330172515134. (कुल–27)

8. उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–8(III) एवं कंडिका–9 के आलोक में जाति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं इसके फलस्वरूप निर्धारित आयु सीमा पार करने के कारण निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है। अनुक्रमांक–111131012979, 216118233021, 216128237245, 217114244527, 311130369295. (कुल–05)

9. उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–15 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर जाली/फर्जी प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित 03 (तीन) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती हैः–

अनुक्रमांक–314126387798, 326114465213, 221125266879. (कुल–03)

10. उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–15 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर फर्जी पाये गये अभ्यर्थियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। फलस्वरूप निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 02 (दो) अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती हैः–

अनुक्रमांक –115118048249 ,230169337456.(कुल–02)

11. उपर्युक्त परीक्षा विवरणिका की कंडिका–15 के आलोक में आयोग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक जाँच के अवसर पर पिता के नाम एवं पता से निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 का फर्जी जाति प्रमाण–पत्र समर्पित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है।

अनुक्रमांक :–330144502164.(कुल–01)

ह०/–

परीक्षा नियंत्रक।